बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक 11.12.2015 को राज्य के नियोजन पक्ष के पदाधिकारियों के साथ बैठक की कार्यवाही ।

दिनांक 11.12.2015 को माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, सचिव, श्रम संसाधन विभाग, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण की उपस्थिति में नियोजन पक्ष के पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, द्वारा की गई। उक्त बैठक में निदेशालय नियोजन से संबंधित विभिन्न विषयों की गहन समीक्षा की गई।

सर्वप्रथम श्री निर्मल कुमार झा, उप निदेशक (नियोजन) निदेशालय नियोजन द्वारा उपस्थित महानुभावों का स्वागत करते हुए नियोजन पक्ष के सभी पदाधिकारियों का परिचय कराया गया।

माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियोजनालय की प्रासंगिकता की रूप रेखा पर चर्चा की गई। उनके द्वारा निकट भविष्य में नियोजन सेवा का महत्व बढ़ाने एवं इस सेवा के कार्यो द्वारा इसकी पहचान बनाने की बात कही गई। माननीय मंत्री के द्वारा निदेश दिया गयाः–

युवा बल के कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु उनके कौशल वर्द्धन के कार्य में प्रगति लाने की बात कहीं गई। अंग्रेजी, कम्प्युटर सक्षमता एवं सामान्य अध्ययन एवं कौशल वर्द्धन कार्यक्रम चलाने का निदेश दिया गया। युवाओं में मल्टीटास्कींग स्किल्स के विकास करने हेतु कार्यक्रम पर बल दिया गया। बेरोजगार इच्छुक युवाओं के उत्साह वर्द्धन हेतु नियोजन सेवा से संबंधित विभिन्न योजनाओं के उचित क्रियान्वयन पर जोर डाला गया। नियोजनालय में निबंधित लोगों का निड वेस्ड ट्रेनिंग स्किल का निर्धारण जिला नियोजन पदाधिकारी करेंगें एवं ट्रेनिंग की सूची भी तैयार करेंगें।

सचिव, श्रम संसाधन विभाग, द्वारा नियोजन पक्ष के कार्यो की समीक्षा की गई। उनके द्वारा नियोजनालयों में हो रहे निबंधन की कम दर पर चिंता व्यक्त करते हुए विभिन्न महाविद्यालयों, विद्याालयों एवं अनय शैक्षणिक संस्थनों में प्रेरणात्मक एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निदेश दिया गया। पदाधिकारियों को नियोजनालयों में निबंधन की संख्या बढ़ाने का निदेश दिया गया। निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता से संबंधित कार्य को प्राथमिकता देने का निदेश दिया गया। इस मद मं आवंटित राशि का सदुपयोग किया जाना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

स्किल डेवलमेंट मिशन प्रोजेक्ट							
क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्व्यय / उपबंध	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	व्यय राशि	अवशेष राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
	मॉडल कॅरियर सेन्टर	40.41	Nil	Nil	Nil	40.41	

बैठक को जारी रखते हुए निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण द्वारा नियोजन पक्ष के विभिन्न क. की गहन समीक्षा की गई। उनके द्वारा अगली समीक्षात्मक बैठक से संबंधित विषयों को पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से प्रदर्शित करने का निदेश दिया गया। जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारियों को जिला मुख्यालय छोड़ने से पूर्व संबंधित जिला पदाधिकारी को लिखित सूचना देने का निदेश दिया गया। समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने के पश्चात् बैठक से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित जिला पदाधिकारी को समर्पित करने का निदेश दिया गया। नियोजन मेला एवं अन्य कार्यक्रम में जिला पदाधिकरियों को आमंत्रित करने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी की अनुपस्थिति में संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त/ ए0डी0एम को आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।

सभी जिले के नियोजन पदाधिकारी अपने जिले में संचालित भी0टी0पी0 का निरीक्षण करेंगें जिसमें भी0टी0पी0 में दी जा रही प्रशिक्षण इन्फास्ट्रक्चर एवं वायोमैट्रिक एटेन्डेंस से संबंधित मामलों का भी निरीक्षण करेंगे।

रोस्टर के आधार पर पदाधिकारियों की तैनाती–नियोजन सेवा के पदाधिकारियों को मूल पदस्थापन स्थान के अलावे अतिरिक्त प्रभार वाले स्थानों पर रहने का दिन निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। यह निदेश प्राप्त हुआ कि मूल पदस्थापित स्थान पर सप्ताह के प्रारंभ के तीन दिन एक अतिरिक्त स्थानों पर तदनुरूप दो/एक दिन स्पष्ट आदेश मुख्यालय स्तर से निर्गत किया जाय।

5 नियोजन मेला

नियोजन मेलाओं में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति अपनाने की बात कहीं गई। मेला में भाग लने वाले कंपनियों हेतु Do' एवं Don't's का दिशानिर्देश जारी करने का निदेश दिया गया। नियोजन मेला की समाप्ति की पश्चात् जाँच–पत्रक द्वारा समीक्षा करने का निदेश दिया गया। नियोजन मेला में दिए जाने वाले नियोजन पत्र में निश्चित रूप से पद, वेतन एवं अन्य भत्ता सुविधाओं का उल्लेख हो। नियेाजन मेला में प्रतिष्ठित कंपनी के भाग लेने हेतु "Expresion of Interest"विभिन्न प्रतिष्ठित दैनिक में निकालने का निदेश दिया गया। नियोजन मला के पश्चात "Follow up Report" भेजने एवं इसकी समीक्षा का निदेश दिया गया। नियोजन मेलाओं में बेरोजगार युवाओं पर पड़ने वाले फलाफल पर चिंता जाहिर करते हुए कहा गया कि दो–चार कंपनी के लोग ही सभी जिलाओं में लगने वाले नियोजन मेला में धुमते रहते हैं तथा कुछ युवाओं को 4000–5000 की सिक्युरिटी गार्ड की नौकरी की नियुक्ति पत्र देकर चले जाते है। बाद में तथा बाकी सारे लोगों का क्या होता है इसकी जानकारी होना चाहिए। जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी सूची फोटो सहित कंपनीवार, विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।

6–नियोजन सेवा का ई–प्रोसेस

क्षेत्रीय कार्यालयों से भेजे जाने वाले रिपोर्ट हेतु ऑनलाईन पोर्टल की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया ताकि ससमय रिपोर्टिंग कार्य किया जा सके। मुख्यालय के बेवसाइट को विभिन्न जिला नियोजनालयों से जोड़ने हेतु लिंक की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।

विभिन्न स्थानों पर इकठ्ठा होने वाले दैनिक मजदुरों हेतु एक "एप" साफ्टवेयर (Application Software) की व्यवस्था करने का सलाह दिया गया।

(अनुपालन–निर्मल कुमार झा)

7–समुद्रपार नियोजन ब्यूरो

समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के स्थापना एवं इसके पूर्णरूपेण कार्य करने की दिशा में प्रयास की जा रही है। इसपर नियमानुसार कार्रवाई पर जोर दिया गया है ताकि बिहार के बेरोजगार युवकों को इसका लाभ हो सके।

8–सेवांत लाभ

(i) सेवांत लाभः– नियोजन पक्ष के क्षेत्रीय कर्मियों एवं मुख्यालय सेवांत लाभ से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। स्व0 झुलन चौधरी, भूतपूर्व लिपिक (मृत्यु दिनांक–12.02.1988) के मामले के समीक्षा की गई। चूंकि मामला वर्षो पुराना है, उत्तराधिकार पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित पाया गया। यह जानकारी स्थापना द्वारा दी गई कि स्व0 चौधरी का लंबित सेवांत लाभ का निपटारा पूर्णतः कर दिया गया है एवं राधेश्याम के सभी लंबित मामलों का भुगतान कर दिया गया है। श्री रामेश्वर पंडित, लिपिक, श्री महेन्द्र राउत (च0 व0) स्व0 विमल कुमार, लिपिक एवं राकेश कुमार लिपिक श्री जगदेव प्रसाद, लिपिक, श्री रामनरेश, लिपिक का सेवांत लाभ का भुगतान कर दिया गया। श्री चन्द्रदेव पासवान, कार्यालय परिचारी एवं श्री आनंद कामती, कार्यालय परिचारी का पेंशन प्रपत्र महालेखाकार को प्रेषित हैं।

नियोजन पक्ष में सेवांत लाभ की स्थिति लगभग अद्यतन पायी गयी।

क्षेत्रीय कर्मचारियों के सेवापुस्त अद्यतन करने, कर्मचारियों के स्थानांतरण के साथ हीं सेवापुस्त/जी0 पी0 एफ0/एल0 टी0 सी0 आदि को भेजना सुनिश्चित किया जाय ताकि भविष्य में दिकक्तों का सामना न करना पड़े। क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की कमी के बारे में बताया गया साथ ही साथ अनुरोध किया गया है कि तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के न रहने के कारण कार्यालयों के कार्यो में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विस्तृत रूप से कार्यरत् लिपिक रिक्त पद एवं स्वीकृत पद आदि की जानकारी दी गई ।

9–न्यायालयवाद

न्यायालय से संबंधित मामालों के निष्पादन में तत्परता बरतने, मुख्यालय को भेजे जाने वाले मासिक विवरणी को ससमय भेजने का निदेश निदेशालय नियोजन के क्षेत्राधीन पदाधिकारियों को दिया गया। जिला नियोजनालय, मुंगेर में श्री सुरेश प्रसाद शर्मा का सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0–1190/2015 सेवानिवृति से संबंधी मामला प्राप्त हुआ है।

10–सूचना का अधिकार

उप निदेशक (नियोजन) स्थापना प्रभारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस संबंध में जिन कार्यालयों से प्रतिवेदन अप्राप्त है उन्हें त्वरित निष्पादन, मासिक प्रतिवेदन भेजने, एवं सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत लोकसूचना पदाधिकारी, सहायक लोकसूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार घोषित करने का निदेश दिया गया।

11–जनशिकायत

उप निदेशक स्थापना द्वारा निदेश दिया गया कि जन शिकायत से संबंधित मामले की श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाती है। इस आलोक में ऐसे मामलों की पूरी तत्परता से निष्पादन के पश्चात अनुपालन प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाना अपेक्षित है ताकि मामले को निस्तारित माना जाय। प्रशासनिक एवं लोकसुधार से प्रेषित जन शिकायत के मामले को निष्पादित करने के उपरांत arun kshtri@gmail.com पर अपलोड करने का निदेश दिया गया।

11–गैर योजना/योजना

(4) उपबंध विवरणी 2015–16

योजना में आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार अविलम्ब करने का निदेश दिया गया। कोई राशि यदि खर्च नहीं होती है, तो उन्हें शीध्र प्रत्यार्पण करने का निदेश दिया गया।

उप निदेशक महोदय द्वारा मासिक व्यय प्रतिवेदन एवं बजट प्राक्कलन आदि तत्परता के साथ अद्यतन कराने का निदेश दिया गया साथ ही साथ लेखा मिलान की समीक्षा की एवं निदेश दिया गया कि माह मार्च तक अद्यतन करा लिया जाय। इस संदर्भ में छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, बाँका, पटना आदि के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अपने यहाँ मार्च तक लेखा मिलान अद्यतन होने की सूचना दी गई।

12–ई0एमआई0/सी0एन0भी0 एक्ट

ई0एम0आई0/सी0एन0भी0 एक्ट से संबंधित प्रतिवेदन को विभागीय पोर्टल पर डालकर ससमय प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है।

बैठक के दौरान सभी नियोजनालयों के द्वारा भेजे जाने वाले मासिक, त्रैमासिक (ES-3) अर्द्धवार्षिक, वार्षिक एवं द्विवार्षिक ((ER-1 एवं E.R-2) प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त कतिपय क्षेत्रीय कार्यालयों का E.M.I प्रतिवेदन लंबित पाया गया। इस क्रम में उपनिदेशक (नियोजन) द्वारा लंबित प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा आग्रह किया गया कि जे0 एस0 ए0/नियोजन पदाधिकारी का ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया जाय। इस संदर्भ में ट्रेनिंग हेतु CERTES से ट्रेनिंग हेतु अनुरोध करने की बात कही गई।

13 नियोजन–सह–व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम

नियोजनालय स्तर पर विभिन्न विषयों से संबंधित व्यक्तिगत मार्गदर्शन, सामूहिक मार्गदर्शन से संबंधित प्रतिवेदन ई–एस.3 त्रैमासिक भेजना सुनिश्चित करें। व्यावसायिक मार्गदर्शन का कार्यक्रम गंभीरता के साथ सम्पादित करें।

14. विविध

विधान सभा/विधान परिषद के तारांकित/अतारांकित प्रश्न लंबित न होने की सूचना क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा दी गई।

M.Meeting38